न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.30–A / अपील / 2020 (GCMS No. 2020 / 00104)	14.12.2020	06.02.2024

श्रीमती जमना बाई पुत्री रामदेव पत्नी मदनलाल जाति मीणा,
निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुराना माटुन्दा रोड बून्दी, (जिला बून्दी)

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामदेव जाति मीणा
   निवासी बहादुरपुरा तहसील एवं जिला बून्दी
2. तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
3. उप पंजीयक, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 03.03.2020 ग्राम बहादुरपुरा, तहसील बून्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.11.2019 की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 30–A / 2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020 / 00104 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा, ख.सं. 70 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.सं. 73 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, ख.सं. 77 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं. 148 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.सं. 149 रकबा 07 बिस्वा एवं ख.सं. 150 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा वाकेग्राम बहादुरपुरा में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि मूल रूप से मांग्या, रामदेव पि. श्रवण कौम मीणा निवासी बहादुरपुरा के खातेदारी की थी। रामदेव की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसके पुत्र रामगोपाल व पुत्रियां जमनाबाई, कान्ताबाई, सुमित्राबाई व पत्नी हजारीबाई का 1/2 हिस्से में नामान्तरण दर्ज हुआ था। रामगोपाल ने मांग्या वल्द श्रवण के 1/2 हिस्से की भूमि हडपने के लिए उसकी एक फर्जी वसीयत तैयार कर एवं लोन लेने के बहाने अपीलांट को ले जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पक्ष में आदेश करवा लिया, जबकि अपीलांट ने जुलाई 2015 में ही उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में एक दावा बाबत विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा धारा 53, 88, 89, 188, 91 राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश कर दिया था जो आज तक भी विचाराधीन है, साथ ही उपखण्ड अधिकारी बून्दी का स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2016 भी आज तक प्रभावी है। इसी दौरान जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय से पुत्रियों का नाम विलोपित करने का आदेश हुआ जिसकी अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर दी है। वाद के विचाराधीन होते हुये एवं स्थगन आदेश होते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फीस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें हित व अधिकार तय नहीं किये जाते है। जहां पर भूमि के संबंध में नियमित वाद विचारधीन है वहां पर अपील का निर्णय नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकारों का अन्तिम निर्णय नियमित वाद में होना होता है। अपीलांट वृद्ध महिला है जो कारोना महामारी आ जाने से घर के बाहर नहीं निकल सकी थी, जिस कारण वह काफी समय तक अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर पाई थी, इसके बाद अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण सं. 642 की जानकारी हुई। तब दिनांक 19.10.2020 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होते ही अपील अवधि मध्य पेश की गई है, यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने एवं खाते में पुनः अपीलांट व रेस्पो.सं.1 व बहिन कान्ता बाई व सुमित्रा बाई का नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रथमतः अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2019 की पालना में तस्दीक किया गया है, जिससे उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध पुनः इसी न्यायालय में अपील पेश किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से यह अपील यहां चलने योग्य नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसे में पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर इस अपील में सुनवाई किया जाना विधिविरूद्ध है। वैसे भी पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त मीणा जाति वर्ग में हक मात्र पुरूष वर्ग के कोपासर्नर को ही है जबकि मीणा जाति की महिला को सम्पत्ति विषयक विरासत के अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं होते है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधि प्रावधानों के अन्तर्गत तस्दीक होने से तथा अपीलांट की अपील विधि प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. 1 ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1989 पेज 340 एवं आर.बी.जे. 2002 पेज 23 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि पत्रावली पर अपील संख्या 127/2015 बउनवान रामगोपाल आ. रामदेवा मीणा बनाम श्रीमती जमना बाई पुत्री रामदेव मीणा वगै. में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2019 की छायाप्रति उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित कृषि भूमि के संबंध में उक्त अपील में उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर उनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक दृष्टांतो की विस्तृत रूप से विवेचना की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त निर्णय दिनांक 20.11.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट यदि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.11.2019 से अप्रसन्न है तो उसके पास उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का विकल्प मौजूद था, किन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा न करके इस न्यायालय के आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध पुनः इसी न्यायालय में अपील पेश की गई है जो कानूनी दृष्टि कतई उचित नहीं है तथा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन बलहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी